TEN RU FOU ONE RUPEE

c.f(R)15/ 2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2000/अपील

A-2251-III/2000

जहूर शाह पुत्र त्होरिका शाह-मुसलमान,
निवासी स्कूल-गली वार्ड नं09, सबलगढ़,
जिला मुरेना ।

------अपीलान्ट

बिरुध्द

अंगूर शाह पुत्र छुट्टन शाह, जाति मुसलमान,
निवासी चांदनी चौक, सबलगढ़, जिला मुरेना।

-----रिस्पोन्डेन्ट

श्री ... अग्रवाल ... अभिभाषक द्वारा आज दि. 27-11-2000 को प्रस्तुत ।

27 NOV 2000

अपील बिरुध्द आज्ञा आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरेना प्रकरण क्रमांक 65/99-2000 अपील जहूरशाह बिरुध्द अंगूर शाह तारीख 21-8-2000 अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न कारणों व्दारा प्रस्तुत है :-

A... 27-11-2000 (A.K. Agarwal) Adv.

1- यह कि, निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधान के विपरीत तथा फाईन्डिंग्स परव्हर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि, अधिनस्थ न्यायालय ने restoration आवेदन अपीलान्ट जो अपील रेस्टोर किये जाने का प्रस्तुत किया था, रेस्टोर नहीं करने में त्रुटि की है । अपील जो कलेक्टर महोदय की कोर्ट में अदम पैरवी में निरस्त की गई थी उसको रेस्टोर करने का कारण पर्याप्त था ।

3- यह कि, अपील दिनांक 26/10/1999 को अदम पैरवी में निरस्त की गई थी, का रेस्टोरेशन आवेदन अपील को restore

क्रमश:---2

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2251–तीन/2000 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
14-12-05	यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 65/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2000 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो के आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.गोयल को सुना। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 21–8–2000 एंव कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 16–11–99 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 129/96–97 अपील में आदेश दिनांक 26–10–99 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त हुआ। प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत आवेदन देने पर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 16–11–99 से पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के	

Raj

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2251–तीन/2000 निगरानी जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	परन्तु कलेक्टर मुरैना ने आवेदक के 7 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर प्रकरण पुर्नस्थापित न करते हुये न्यायदान से बंचित करने की श्रेणी में पाया गया है तथा आयुक्त, मुरैना संभाग मुरैना व्दारा भी आदेश दिनांक 21–8–2000 पारित करते समय इस पर ध्यान न देने की त्रृटि की है। 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 65/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2000 तथा कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 129/97–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–11–99 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा कलेक्टर मुरैना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण कमांक 129/97–97 अपील को पुर्नस्थापित कर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणदोष के आधार पर विधिवत् आदेश पारित करें। सदस्य	

विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 65/1999–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–8–2000 से अपील निरस्त की गई है।

3/ प्रकरण में देखना यह है कि कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 16–11–99 पारित करते समय कोई त्रृटि तो नहीं की है ? कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण आदेश दिनांक 26–10–99 से अदम पैरबी में निरस्त किया है। आयुक्त के आदेश में वर्णित अनुसार पुर्नस्थापन हेतु आवेदन 7 दिवस वाद प्रस्तुत हुआ है इस सात दिवस के विलम्ब को कलेक्टर व्दारा विलम्ब के दर्शाए गए कारण पर्याप्त नहीं माने हैं। कलेक्टर के आदेश दिनांक 16–11–99 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उन्होंने तकनीकी खामियॉ निकालते हुये पुर्नस्थापन आवेदन अमान्य किया है।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा 35 (3) – जब तक जानबूझकर घोर प्रमाद या जानबूझकर त्रृटि दिखाई न दे – प्रकरण पुर्नस्थापित करना चाहिये।
2. भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) धारा 35 (3) – न्याय तकनीकी बातों में नष्ट नहीं होने देना चाहिये–न्यायालय को विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वास्तविक न्याय करना चाहिये न कि मिलिट्री के समान अनुशासन बनाये रखने के लिये कमाण्डर जैसा काम। (राजरानी बनाम यादराम 1976(1)म0प्र0वीकली नोट 104 एंव प्रगतिशील रेल्वे कोआ0सोसा0बनाम साउथ ईस्टर्न कोआ0सोसा0 1984 रा0नि0 210 से अनुसरित)